



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 701( )पंरावि/प्रशा.1/अधि.अभि./निलम्बित/भरतपुर/2020/476 जयपुर, दिनांक 15.02.21

—:आदेश:—

श्री घनश्याम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन) हाल हस्तातरित तालाबों की देखरेख का उत्तरदायित्व हेतु जिला परिषद भरतपुर के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री घनश्याम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन) जिला परिषद भरतपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री घनश्याम मीणा अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद भरतपुर की सेवायें इनके पैतृक विभाग (जल संसाधन) को लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि श्री मीणा अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग(जल संसाधन), मुख्यालय पर प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(मंजू राजपाल)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 14.12.2000 एवं 10.08.2001 एवं 31.07.2018 के क्रम में पुष्टि करने हेतु।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामिण विकास विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
8. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
9. मुख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) पंचायती राज विभाग।
11. श्री घनश्याम मीणा, निलम्बित अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन) जिला परिषद भरतपुर।
12. एसीपी मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
13. ओदश पत्रावली/निजी पत्रावली।

  
उपायुक्त एवं

शासन उप सचिव (द्वितीय)